

पत्रावली पेश हुई/वकील दादी/प्रतिवादी/
 अपीलार्थी/रेस्पोंडेंट/अप्री/अप्री/उभयपक्ष
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
 अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 14-10-10
 को पेश हो।

रीडर

14-10-15 पत्रावली पेश हुई/वकील दादी/प्रतिवादी/
 अपीलार्थी/रेस्पोंडेंट/अप्री/अप्री/उभयपक्ष
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
 अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 9-12-15
 को पेश हो।

रीडर

3-12-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वास्ते कायमी
 तनकी पत्रावली दि० 3-2-2016 को पेश हो।

3-2-16 वकील उभयपक्ष उप० हैं। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि०
 16-3-16 को पेश हो।

16-3-16 वकील उभयपक्ष उप० हैं। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि०
 4-5-16 को पेश हो।

4-5-16 वकील उभयपक्ष उप० हैं। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि०
 8-6-16 को पेश हो।

28-2-33
 31-5-16

8-6-16 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् 5.00.00 सा० दौरे पर हैं।
 पत्रावली दि० 10-6-16 को लोक अदालत कैम्प
 लोकसी पर पेश हो।

रीडर

10-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प लोकसी पर
 पेश हुई। वकील तथा प्रतिवादी नं० 1, 2, 3 उपस्थित
 हैं। पत्रकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश
 किया है कि विवादित भूमि रकबा नं० $\frac{2022}{1783}$ रकबा
 0.25 हैक्टर, $\frac{2058}{1283}$ रकबा 0.13 हैक्टर ग्राम लोकसी
 का सीमाशान तहसीलदारजी के नेतृत्व में दलका
 गिरदावर व पटवारी की टीम करेगी तथा सीमा

अवेर
 मिश्रा
 धर्मरा-

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जिन्हें से पशुकारान को अवगत कराये गे। पशुकारान
का सीमासान की सीमाओं में अगर एक दूसरे
का कब्जा पाया जाता है तो पशुकारान कब्जा
लेते। अगर कोई भी पशु कब्जा नहीं छोड़ेगा
तो दूसरा पशु दावा पेश कर सकेगा इसकी छुट
दी जावे। इसी आधार पर वादी को अपना दावा
वापिस लेने की अनुमति दी जावे। प्रतिवादीगण
को इसमें कोई आपत्ती नहीं है।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद निर्णित
किया जाता है व वादी को वाद वापिस लेने की
अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा
बनेगा। पत्र डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली चैसल शमार दोकर नम्बर से
रख हो एवं वाद तक्कीम कारिबल दफतर हो।

(Signature)
(सुशीला कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(Signature)
(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(Signature)
(मुनिर्देव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कार्यालय
गंगापुर सिटी

28-2-33

31-5-16

(Signature)
शिव
A. A.

नम्बर
अहमद
हुकम
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

अमरसिंह पुत्र रुण्डा लाल मीना निवासी महंकला तह. गंगापुर सिटी

---वादी

बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. मन्तलाल पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. नुजबई बेबा श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं - 119/2013

वादी की ओर से वादी अमरसिंह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मिश्रीलाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के सम्म अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर विवादित भूमि ख0न0 2022/1783 रकबा 25 एयर, 2058/1783 रकबा 13 एयर ग्राम टोकसी की नाप करवा कर भूमि का सीमाज्ञान करवा दे तथा पक्षकारों की भूमि की सीमाओं में एक दूसरे का कब्जा पाया जाता है तो पक्षकारान भूमि का कब्जा छोडेगे अगर कोई पक्ष कब्जा नहीं छोडता है तो दूसरे पक्ष का नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार गंगापुर सिटी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 _____रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

गंगापुर सिटी

राजस्थान हाइकोर्ट अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(विद्यमान अधिकारी लोक अदालत / केस कोर्ट)
केस कोर्ट का स्थान :- झींझर

अमरसिंह

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 10/6/16

राजीनामा नं. 113/13
अमरसिंह

बनाम मिर्झीलाल कोठे
अन्तर्गत धारा 188A-Aet

अमरसिंह

मैं राजीनामा नं. 113/13 की प्रतिलिपि को आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। उक्त सुलह को विचार नहीं रखा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है - कि मिर्झीलाल कोठे (व. नं. 2022) के द्वारा 0-25हठ, 2058 रमका 0.13हठ रमका-झींझर का प्लॉट नं. 1283 को खरीदा है। उक्त प्लॉट को खरीदने के लिए पक्षकारों के बीच सुलह हुई है। उक्त सुलह के अन्तर्गत पक्षकारों के बीच सुलह हुई है। उक्त सुलह के अन्तर्गत पक्षकारों के बीच सुलह हुई है। उक्त सुलह के अन्तर्गत पक्षकारों के बीच सुलह हुई है।

1. सरतलाल
2. मिर्झीलाल
3. धर्मराज
- 4.

अमरसिंह
प्रधानाध्याय
कोर्ट अधिकारी (संगानो)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर अमरसिंह
(प्रतिवादी पक्ष) नाम सरपंच
ग्राम प्रजापत देवराजी
पंचायत गंगपुर सिटी (संगानो)

अमरसिंह
(हठ सदस्य)
रवि कुमार शर्मा
रजिस्ट्रार
सदस्य
लोक अदालत
गंगपुर सिटी

अमरसिंह
(हठ सदस्य)
रवि कुमार शर्मा
रजिस्ट्रार
सदस्य
लोक अदालत
गंगपुर सिटी

अमरसिंह
(हठ सदस्य)
मुनिदेव शर्मा
पीठासी अधिकारी
लोक अदालत
गंगपुर सिटी एवं
विभागाध्यक्ष